

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

पीठासीन अधिकारी - रामनिवास मेहता आर०ए०एस०
मिसल संख्या 18/2024 तारीख दायरा 12/03/2024 तारीख फ़ैसला 07/05/2025

सियाराम पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. कंचनबाई पुत्री किशना पत्नी मांगीलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा हाल निवास पीपल्दा कर्ली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.


प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89.188 आर.टी. एक्ट. सपठित धारा 135 एल आर.

एक्ट.

निर्णय दिनांक- 07/05/25

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 2 की सयुक्त खाते की आराजी वाके ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. में खाता संख्या 305 की खसरा नम्बर 1028/386 रकबा 0.70 हैक्टर नहरी दोयम मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 में दर्ज थी। प्रतिवादी क्रम 2 वादी की सगी बहिन है उसने उपरोक्त आराजी मे से अपने हिस्से की 1/2 सम्पूर्ण आराजी का रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र वादी के पक्ष में दिनांक 26.9.2019 को कर दिया था, उपरोक्त आराजी एस.बी.बी.जे शाखा इटावा के रहन दर्ज होने से वादी के पक्ष में हकत्याग पत्र का नामान्तकरण अमल में नहीं आया इसी दौरान केचमेन्ट की कार्यवाही हो गई केचमेन्ट के बाद उपरोक्त आराजी के खसरा नम्बर 1028/386 रकबा 0.70 हैक्टर के स्थान पर नये खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.67 हैक्टर जरिये नामान्तकरण संख्या 1496 से पैमूद किये गये। नामान्तकरण की नकल सलग्न है। आगे वाद पत्र में उपरोक्त आराजी को विवादग्रस्त भूमि कहा गया है। यह कि वादी ने बैंक का ऋण जमा करवा दिया और बैंक का रहन प्रभार इंतकाल नम्बर 1740 दिनांक 22.6.2022 से हटा दिया गया वादी विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। जिसका उपयोग एवं उपभोग लगातार करता आ रहा है प्रतिवादी क्रम 2 का विवादग्रस्त आराजी पर किसी भी भूभाग पर कब्जा काश्त नहीं है। यह कि दिनांक 19.2.2024 को वादी ने विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 से निवेदन किया कि रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र से प्रतिवादी क्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज करे अपने बैंक का भी रहन हटा दिया है इस पर प्रतिवादी क्रम 1 ने कहा कि रिलिज डीड व जमाबंदी मे वर्णित खसरा नम्बर का मिलान नही हो रहा है। इसलिये विवादग्रस्त आराजी पर वादी का नाम दर्ज नहीं करूंगा अदालत में कार्यवाही करो। उसी दिन वादी ने प्रतिवादी क्रम 2 से भी कहा कि तुमने भी विवादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से का रजिस्टर्ड हकत्याग वादी के पक्ष में कर दिया है अदालत मे चलकर अपना नाम हटाओ तों प्रतिवादी


सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज०)

तथा उसके वारिसान ने वादी को धमकी दी कि कोई नाम नहीं हटायेगे ओर हम हमारे हिस्से की भूमि पर फसल काशत करेगे। ओर अभी की फसल को भी हक ही काटेंगे। वादी को काशत नहीं करने देगे तथा विवादित आराजी मे हमारे हिस्से की भूमि को रहन, बैचान करेगे। यह कि वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वादी वाद पत्र में वर्णित विवादित सम्पूर्ण आराजी पर अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करावे एवं प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजी में वादी के उपयोग एवं उपभोग में बाधा उत्पन्न करने से रोके इस कारण माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह कि वाद कारण दिनांक 19.2.2024 को प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा विवादित सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम दर्ज करने से मना करने तथा प्रतिवादी क्रम 2 व उसके वारिसान द्वारा विवादित आराजी पर से वादी को बेदखल करने व फसल नष्ट करने व भूमि को खुर्द-बुर्द करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ है। यह कि प्रतिवादी क्रम राज्य सरकार के प्रतिनिधि है। जिनके विरुद्ध वाद दायर करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यदि धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया गया ओर उक्त अवधि का इंतजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 2 के वारिस वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर देगे जिस कारण वादी का वाद करना ही बेकार हो जायेगा। इस कारण वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद धारा 80-2 सी.पी.सी. के प्रावधानो के तहत मय शपथ पत्र प्रस्तुत है

यह कि ग्राम दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की कृषि आराजी खाता संख्या 305 की खसरा नम्बर 1028/386 रकबा 0.70 है। जिसके केचमेन्ट के बाद नया खसरा नम्बर 1129 रकबा 0.67 है। पैमूद किये गये है। उक्त आराजी पर से प्रतिवादी क्रम 2 का नाम खाते से हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

यह कि प्रतिवादी क्रम 2 व उसके प्रतिनिधियों को स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह वादी के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करे।

यह कि दौराने वाद प्रतिवादी क्रम 1 विवादग्रस्त आराजी को विक्रय कर देवे तो उस हस्तानान्तरण को वादी के अधिकारो के समक्ष बेअसर घोषित किया जावे।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की जर्घ सम्मन की गई। प्रतिवादीक्रम 1 की ओर से सरकार पैरोकार उप0 हुए। प्रतिवादीक्रम 2 स्वयं उप0 होकर जवाब दावा व राजीनामा पेश किया। बहस सुनी गई।

जवाब दावा:-

प्रतिवादी क्रम 2 वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र का निम्न जवाब प्रस्तुत करती है :-

1- यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 1 स्वीकार है। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी का हक त्याग पत्र वादी के पक्ष में कर दिया था। लेकिन केचमेन्ट हो जाने के कारण विवादित आराजी का खसरा संख्या 1028/386 के स्थान पर 1129 व रकबा 0.70 हैक्टर के स्थान पर 0.67 हैक्टर नामान्तरण संख्या 1496 से पैमुद हो गया।

Ramniwal
सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज0)

- 2- यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 2 स्वीकार है।
- 3- यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 3 में जो तथ्य अंकित किये गये हैं वह स्वीकार है।
- 4- यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 4 स्वीकार है।
- 5- यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 5 स्वीकार है।
- 6- यह कि वाद पत्र की मद नम्बर 6,7,8 कानूनी होने से श्रीमान के विचारणीय है। प्रार्थना वादीगण स्वीकार है।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी ग्राम दुर्जनपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या 305 खसरा न० 1028/386 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके केचमेंट के बाद खसरा न० 1129 रकबा 0.67 हैक्टर पेमुद किये गये हैं उक्त आराजी पर से मुझ प्रतिवादीक्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

राजीनामा:-

- 1- यह कि प्रतिवादीक्रम 2 द्वारा विवादित आराजी का हक त्याग पत्र वादी के पक्ष में कर दिया था। लेकिन केचमेंट हो जाने के कारण विवादित आराजी का खसरा संख्या 1028/386 रकबा 0.70 है० के स्थान पर खसरा न० 1129 रकबा 0.67 हैक्टर नामान्तरण संख्या 1496 से पेमुद हो गया इस कारण वादी के नाम हक त्याग पत्र का नामान्तरण नहीं खुल पाया। वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं है दोनो के मध्य राजीनामा हो गया है।
- 2- यह कि वाद पत्र की मद न० 1 में वर्णित आराजी ग्राम दुर्जनपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या 305 खसरा न० 1028/386 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके केचमेंट के बाद खसरा न० 1129 रकबा 0.67 हैक्टर पेमुद किये गये हैं उक्त आराजी पर से मुझ प्रतिवादीक्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किये जाने में प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है।

वकील पक्षकारान उप० है। वादी व प्रतिवादी स्वयं उप० हुए। वकील वादी की बहस के तथ्यों, जवाब व राजीनामा का अवलोकन मनन किया गया। अतः राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीक्रम 1 को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम दुर्जनपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या 305 खसरा न० 1028/386 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके केचमेंट के बाद खसरा न० 1129 रकबा 0.67 हैक्टर पेमुद किये गये हैं उक्त आराजी पर से प्रतिवादीक्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

Ramniwas
 सहायक सचिव
 इलाहाबाद (राज०)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०
डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी- रामनिवास मेहता आर०ए०एस०

मिसल संख्या

18 / 2024

तारीख दायरा

12 / 03 / 2024

तारीख फैसला

07 / 05 / 2025

सियाराम पुत्र किशना जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

वादी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.
2. कंचनबाई पुत्री किशना पत्नी मांगीलाल जाति बैरवा निवासी दुर्जनपुरा हाल निवास पीपल्दा कर्ली तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज.

प्रतिवादीगण

दावा अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट. सपठित धारा 135 एल आर.

एक्ट.

निर्णय दिनांक- 07/05/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीकम 1 को आदेश दिया जाता है कि वाके ग्राम दुर्जनपुरा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज० की खाता संख्या 305 खसरा न० 1028 / 386 रकबा 0.70 हैक्टर जिसके केचमेंन्ट के बाद खसरा न० 1129 रकबा 0.67 हैक्टर पेमुद किये गये है उक्त आराजी पर से प्रतिवादीक्रम 2 का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक 07/05/25 को जारी किया गया।
निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प			स्टाम्प अर्जी		
वकालतनामा					
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		

Ramniwas
सहायक कलक्टर
इटावा जिला कोटा (राज०)

मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

Pennicase
 सहायक कलक्टर
 इटावा जिला कीद
 इटावा जि० कीद (सि०)